# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर(राज.)

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्र.स. : 43/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO : 2024/47

**अनवान**

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री गोविन्द पटेल पिता श्री धोलाजी पटेल, मैसर्स पटेल दूध डेयर 3/73 हाउसींग बोर्ड कॉलोनी गोर्वधन विलास गिर्वा उदयपुर। स्थाई पता– उथरदा तह.गिंगला जिला सलुम्बर मो.8696429464

–विपक्षी

**उपस्थित**

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

**●निर्णय●**

**दिनांक 30-09-2024**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 15.02.2024 को 10.42 ए.एम वास्ते चेकिंग मैसर्स पटेल दूध डेयर 3/73 हाउसींग बोर्ड कॉलोनी गोर्वधन विलास गिर्वा उदयपुरपर पहूँचे, वहॉ विपक्षी श्री गोविन्द पटेल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स पटेल दूध डेयर 3/73 हाउसींग बोर्ड कॉलोनी गोर्वधन विलास गिर्वा उदयपुर का विक्रेता होना बताया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

निरीक्षण के समय पाया कि विक्रेता दुध, दही, पनीर, आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को बिकी करने का कार्य करते है। यहां पर फीज में करीब 15 किलो पनीर एक ट्रे में आम जनता को बिकी वास्ते रखा पाया। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से स्टील की पतेली में रखा पनीर को चाकू से वर्टीकल कट देकर इसके एक भाग को साफ सुखी खाली स्टील की ट्रे में निकाला एवं इसमें से 1 कि.ग्रा. पनीर एक साफ, सूखे व खाली स्टील की ट्रे मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 1 को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा पनीर की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 300रू. चुका रसीद प्राप्त की। प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा पनीर को एफ.एस.एस.ए. के तहत नियमानुसार क्रय कर 4 साफ सुथरे खाली प्लास्टिक जारों में नियमानुसार बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 25 बूंदे प्रत्येक जार में डालकर इनका मुंह ढक्कन की सहायता से कसकर टाईट बन्द किया। प्रत्येक जार पर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी संख्या 1, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–2576 का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1709 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/55/एक्ट/2024/55 दिनांक 26.02.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Moiseture 60.0% max. होना चाहिए था कि जगह 71.77% पाया गया एवं Milk Fat( dry matter basis) 50.0% min. होना चाहिए था कि जगह 2.01% पाया गया एवं Butyrorefractometer Reading at 40°C, of extracted fat. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 46.50 पाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1708 दिनांक 15.03.2024 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/3707 दिनांक 19.06.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विकेता/मालिक का टर्नऑवर 12 लाख वार्षिक से कम है।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर प्रारम्भिक आपत्ति दर्ज कराते हुए निवेदन किया कि खा.सु.अ. द्वारा पनीर का सेम्पल वर्टीकल रूप से काट कर लेना बताया जबकि वर्टीकल रूप से केवल दही का सेम्पल लिया जाता है पनीर का नहीं इसलिए सेम्पल लेने की सही प्रक्रिया विधि अनुसार नहीं ली गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी फर्द में पनीर का सेम्पल कैसे लिया ऐसे नहीं लिखा केवल प्रार्थना पत्र/परिवाद में लिखा है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 26(2)(ii)FSS ACT 2006 एवं नियम 2011 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकृत नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.03.2023 की प्रस्तुत की गई जो एक वर्ष तक के लिए वैध थी यानि दिनांक 08.03.2024 तक वैध थी, इसी प्रकार दूसरा आदेश 28.03.2024 तक ही वैद्य था। परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2024 को प्रस्तुत करना लिखा है यानि परिवाद प्रस्तुत करते वक्त अधिकृत नहीं था। अतः परिवाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.02.2024 के तहत फर्मोलीन की 25 बून्द डाल कर सेम्पल लेना बताया तथा प्रार्थना पत्र/परिवाद में उल्लेखित पैरा नम्बर चार पैज नम्बर 2 पर स्पष्ट अंकित किया है कि 25 बून्द प्रत्येक जार में डालकर सेम्पल लेकर एयर टाईट बन्द किया, जबकि खा.सु.अ. के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

तहत फुड सैफटी एण्ड स्टेण्डर्ड ( लेबोरेट्री एवं सेम्पल एनालिस) रेग्यूलेशन 2011 के तहत नियम 2.3( Procedure of sampling ) के (5) क्लॉज पांच के अनुसार 20 बून्द से अधिक फर्मोलीन की मात्रा नहीं होनी चाहिए जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रत्येक सेम्पल वाले जार में 25 बून्दे फार्मोलीन डाली गई जिससे पनीर में सब स्टेण्डर्ड होना माना जो कि उक्त नियमो की अवहैलना है तथा खाद्य पदार्थ के मानको के विरूद्ध है 100 ग्राम सेम्पल के लिए फर्मोलीन 8 बून्द डाली जाती है तथा 250 ग्राम पनीर के लिए 20 बून्द ही डालना कानूनी प्रकिया है फिर भी पनीर के सेम्पल में 25 बून्द फर्मोलीन डालकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की अवहैलना खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की हैं इसलिए समस्त कार्यवाही को ड्रोप किया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिना परिचय दिये धमकी देकर सेम्पल लिया है। दुकान से बिना विधिक प्रकिया अपनाये सेम्पल वाले जारो को साफ किये बिना ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई जो अवैध अनुचित है। विपक्षी को डरा धमका कर खाली कागजो पर हस्ताक्षर कराये गये फिर कार्यवाही अपने कार्यालय पर बैठ कर की गई। विक्रेता विपक्षी के सामने सेम्पल नहीं लिये न ही जार में रखे न ही मौके पर सेम्पलो को सील्ड किया गया बल्कि फ्रिज में से पनीर निकाल कर अपने घर के लिये ले जाया गया तथा विपक्षी द्वारा पनीर की विक्रय राशि मांगने पर झुठा केस बनाया गया । प्रार्थी इस घटना से पहले भी विपक्षी की दुकान से पनीर, दुध, दही आदि फ्री में सामान ले गया था तथा विपक्षी द्वारा रूपयो की मांग करने पर द्वेषता के कारण झुठा प्रकरण बनाया है। सेम्पल लेने का तरीका मौके पर नहीं अपनाया गया केवल दस्तावेजो में लिखा हैं वक्त घटना विपक्षी के फ्रीज से पनीर निकाल कर ( CMHO ) कार्यालय ले गये और विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही कर दी गयी। ऐसा कृत्य विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है प्रार्थी ने पनीर की राशि भी विपक्षी को अदा नहीं की थी। चौथे भाग के सेम्पल एनएबीएल से जांच करवाने संबंधित जानकारी नहीं दी गई। खा.सु.अ. ने जांच रिपोर्ट को आधार बताकर पनीर को सब स्टेण्डर्ड होना माना जबकि प्रार्थी ने पनीर किस वक्त कितने बजे फ्रीज से बाहर निकाला तथा कितने वक्त तक गर्मी में बाहर पडा रखा, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं दिया। अतः प्रार्थना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही कर पनीर का गलत तरीके से सेम्पल लोक विश्लेषक को भेजा गया तथा फर्मोलीन की निर्धारित मात्रा से अधिक बून्दे डालकर अपराध किया है इसलिए विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रॉप करने का आदेश फरमाया जावे। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि सेम्पल पुर्णतया खा.सु.अ में लिखे अनुसार सेम्पलिंग प्रोसिजर द्वारा किया गया है। विपक्षी के पास 15 कि.ग्रा. पनीर रखा पाया गया जिसमें बिना उपर से निचे कट दिये बगेर 1 कि.ग्रा. पनीर लेना संभव नहीं था। 1 कि.ग्रा. पनीर लेकर इसमें होमोजिनियस करके फिर साफ सुथरे प्लास्टिक के (फुड ग्रेड) कण्टेनर में बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक कन्टेनर (फुड ग्रेड) में प्रत्येक में 250 ग्राम भरकर इसमें फार्मेलिन (प्रतिरक्षक) डालकर एयर टाईट बन्द करके फिर इस्तेगाजे में लिखित समस्त प्रकिया अपनाकर सेम्पल लिया गया जो कि पुर्णतया एक्ट की पालना करता है। अतः

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

विपक्षी की यह दलिल पुर्णतया बेबुनियाद है। विपक्षी की यह दलिल है कि प्रार्थना पत्र/परिवाद पेश करते वक्त अधिकृत व्यक्ति नहीं था के जवाब में गजट व एरिया नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है। विपक्षी द्वारा लगाए गये आक्षेप के जवाब में यह है कि फॉमेलिन एक परिरक्षक का कार्य करता है, जिसका काम खाद्य पदार्थ को खराब व हानिकारक आग्रेनिज्म की ग्रोथ को रोकना है। FSSA Act में यह लिखित है कि यदि खाद्य पदार्थ हाईली पेरिसेबल हो तो उसमें फॉर्मलिन की मात्रा 0.6ML / 100GM से कम नहीं होनी चाहिए अतः फॉर्मलिन की मात्रा से खाद्य विश्लेषण पर कोई विपरित असर नहीं होता चुंकि पनीर में फेट की मात्रा का विश्लेषण लेब द्वारा DRY Basis पर की जाती है। अतः दलील सही नहीं है। अन्य दलील 1 से 10 तक पुर्णतया बेबुनियाद है इस्तगासे रिपोर्ट व फार्म नं 5 ए व अन्य दस्तावेज गवाहो व विक्रेताओ के हस्ताक्षर के बिना सेम्पल लेना संभव ही नहीं हो पाता।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं पनीर का सेम्पल सबस्टेण्डर्ड पाया जाने से अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा अपने बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि खा.सु.अ. की गलती के कारण पनीर सबस्टेण्डर्ड आया है। 19.06.2024 को खाद्य सु.अ. परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत नहीं था। सेम्पल प्लास्टिक के जार में लिया गया है जबकि एल्यूमिनियम या ग्लास जार में ही लेने का प्रावधान है। अधिकतम 20 बुन्दे फर्मोलिन की डाली जानी चाहिए जबकि 25 बुन्दे डाली गई। चाकु की क्या स्थिति थी, साफ था या नहीं यह नही बताया, रीप्रजेन्टेटीव सेम्पल नहीं लिया गया है। गोविन्द के नाम से परिवाद बनाया गया है जबकि लाईसेन्स पटेल दूध डेयरी के नाम से है। लेब रिपोर्ट की कॉपी भी नहीं दी गई। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं आया है, खा.सु.अ. की गलती के कारण सबस्टैण्डर्ड आया है। प्रकरण को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। रिबटल बहस में परिवादी द्वारा निवेदन किया कि मिल्क फेट बहुत कम आया है। फार्मेलिन की बुन्द की वजह से सबस्टेण्डर्ड पाया गया यह कहना गलत है। सरकार द्वारा मेरी सेवा अवधि बढाई गई है, जिस समय सेम्पल लिया उस समय का गजट आदेश लगाया है। सरकार द्वारा प्लास्टिक(फुड ग्रेड) को सेम्पल लेने हेतु मान्य होने से फुड ग्रेड प्लास्टिक मे सेम्पल लिया गया है। अतः परिवाद स्वीकार किया जाकर आरोपी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता के यहां पर फ्रीज में करीब 15 किलो पनीर एक ट्रे में आम जनता को बिकी वास्ते रखा पाया। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से स्टील की पतेली में रखा पनीर को चाकू से वर्टीकल कट देकर इसके एक भाग को साफ सुखी खाली स्टील की ट्रे में निकाला एवं इसमें से 1 कि.ग्रा. पनीर एक साफ, सूखे व खाली स्टील की ट्रे मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी संख्या 1 को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Moisture 60.0% max. होना चाहिए था कि जगह 71.77% पाया गया एवं Milk Fat( dry matter basis) 50.0% min. होना चाहिए था कि जगह 2.01% पाया गया एवं Butyrorefractometer Reading at 40°C, of extracted fat. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 46.50** पाया गया।

उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी के पनीर का सेम्पल सबस्टैण्डर्ड आया है मुख्यतया दुध से बना पदार्थ होकर इस में फेट की मात्रा **Milk Fat( dry matter basis) 50.0% min. होना चाहिए था कि जगह 2.01% पाया गया** केवल **2.01% Milk Fat** होना अपने आपमें पनीर की अनुचित गुणवत्ता को दर्शाता है। आरोपी द्वारा इस पर अपने जवाब में कोई तर्क नहीं दिया है। केवल सैम्पलिंग की प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे है। जबकि उन्होने माना है कि यह पनीर का सेम्पल उन्ही की दुकान से लिया गया है। जो भी कार्यवाही खा.सु.अ. द्वारा की गई वह लिखित रूप में की गई है गवाहों के हस्ताक्षर किये गये है। यदि इसमें कोई अनियमितता होती तो सेम्पल दिनांक 15.02.2024 से आज दिनांक तक विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो, गलत सेम्पलिंग के खिलाफ शिकायत की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज जवाब के साथ पेश नहीं किया। मात्र कथन के आधार पर सेम्पलिंग की प्रकिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता। रहा प्रश्न फार्मोलिन की बुन्दो का तो फार्मेलिन के आधार पर मिल्क फेट कम या ज्यादा होना तय नहीं करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के परिवाद पेश करने हेतु अधिकृत होने का वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सरकार से इनकी सेवा अवधि बढाये जाने का गजट की प्रति वक्त बहस अवलोन कराई जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी उक्त परिवाद पेश करने हेतु अधिकृत है।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹ 1,00,000/–रु अक्षरे रूपया एक लाख मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( दीपेन्द्र सिंह राठौर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)